



## प्रेस नोट

### सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 17.05.2026

❖ थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, 14.05.2026 को वादी की नाबालिग भांजी को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 174/2026 धारा 137(2) बीएनएस बनाम चन्दू मंसूरी उर्फ चांद पुत्र हामिद मंसूरी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम शंकर नगर कस्बा व थाना शिवली कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। थाना शिवली पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 14.05.2026 को अपहर्ता/पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की वृद्धि की गयी । मुकदमा उपरोक्त में नामित वांछित अभियुक्त चन्दू मंसूरी उर्फ चांद पुत्र हामिद मंसूरी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम शंकर नगर कस्बा व थाना शिवली कानपुर देहात को आज दिनांक 17.05.2026 को पाण्डू नदी पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

### गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

चन्दू मंसूरी उर्फ चांद पुत्र हामिद मंसूरी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम शंकर नगर कस्बा व थाना शिवली कानपुर देहात

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 174/2026 धारा 137(2)/65(1) बीएनएस व 3/4 ( 2) पॉक्सो एक्ट व 3/5(1) उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना शिवली जनपद कानपुर देहात ।

### गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

प्र0नि0 अमरेन्द्र बहादुर सिंह

उ0नि0 आनंद कुमार पाण्डेय

का0 180 रवी कुमार